न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/2665 दिनांक 13/12/2022

प्रार्थी :-

1.पेमाराम पुत्र मोडाराम
जाति दर्जी
निवासी खारिया डेर (बीजराड़)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1.करनाराम पुत्र अखाराम 2.अचलाराम पुत्र चोरूराम
3.जीयाराम पुत्र जुगताराम 4.बांकाराम पुत्र तिलोकाराम
5.गेनाराम पुत्र चोरूराम, जाति जाट, निवासी खारिया डेर
6.जगमालराम पुत्र लिछमणाराम 7.खेताराम पुत्र टीकमाराम
जाति दर्जी, निवासी खारिया डेर, तहसील चौहटन
8.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 123/2022 दिनांक : **13.12.2022**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड़ के मौजा खारिया डेर के खेत खसरा सं. 579/168 रकबा 0.5099 हैक्टेयर, खसरा सं. 584/419 रकबा 01.0522 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

(उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/2666 to 69 दिनांक 13/12/2022

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी पेमाराम
3. विप्रार्थीगण करनाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:29:15 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन